[2020] 4 एस. सी. आर 223

शंकर सुखराम केन्जले (निधन)

अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से

वी.

नारायण कृष्ण गेड और एक और

(2010 की सिविल अपील सं. 4594)

अप्रैल 17,2020

[मोहन एम. शांतनागौदर

और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे.]

बॉम्बे परगना और कुलकर्णी वतन (उन्मूलन) अधिनियम, 1950

एस. 3 (3) , परंतुक-क्या स्थायी मिराशी किरायेदार

-

गिरवीदार (प्रत्यर्थी) का मोचन का अधिकार उन्मूलन अधिनियम के तहत वाद भूमि को फिर से शुरू करने और उसके बाद गिरवीदार (अपीलकर्ता) के पक्ष में पुनः अनुदान के कारण समाप्त हो गया-विचाराधीन भूमि परगना वतन संपत्ति/बॉम्बे वंशानुगत कार्यालय अधिनियम, 1874 द्वारा शासित इनाम भूमि थी-वाद भूमि का वतनदार

स्थायी मिराशी किरायेदार को शामिल किया गया जिसने एक बंधक विलेख निष्पादित किया

अपीलार्थियों का पक्ष-बॉम्बे परगना और कुलकर्णी वतन

(उन्मूलन) अधिनियम, 1950 परगना और कुलकर्णी वतन को समाप्त करने के उद्देश्य से 25.1.1951 से लागू हुआ मूल वतनदार और मराशी किरायेदार ने सूट भूमि के पुनः अनुदान की मांग नहीं की-सरकारी प्रस्ताव पर भरोसा करने वाले बंधक ने अपेक्षित अधिभोग मूल्य का भुगतान किया और 1960 में अपने पक्ष में सूट भूमि का पुनः अनुदान प्राप्त किया-प्रत्यर्थियों द्वारा दायर बंधक के मोचन के लिए मुकदमा

रखरखाव-आयोजितः यह अच्छी तरह से तय है कि बंधक विलेख के तहत मोचन का अधिकार समाप्त हो सकता है या हो सकता है केवल कानून द्वारा ज्ञात एक प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जाता है, अर्थात, या तो इस तरह के प्रभाव के लिए पक्षों के बीच एक अनुबंध के माध्यम से, एक विलय द्वारा, या एक

वैधानिक प्रावधान जो गिरवी रखने वाले को गिरवी रखने से रोकता है-गिरवी रखने वाले की ओर से अधिभोग मूल्य का भुगतान करने और पुनः अनुदान की मांग करने में विफलता एक मिराशी किरायेदार के रूप में उसके अधिकारों के लिए घातक नहीं है क्योंकि उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बावजूद उसके पक्ष में किरायेदारी बनी रही परिणामस्वरूप, उसके द्वारा निष्पादित बंधक भी उन्मूलन अधिनियम के तहत वाद भूमि

की बहाली से बच गया, और यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरवी रखने वाले-गिरवी रखने वाले का संबंध अस्तित्व में नहीं रहा।

ऐसा अधिनियम-एस के अनुसार। 90 भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 का, यदि कोई बंधककर्ता है,

गिरवीदार के रूप में अपने पद का लाभ उठाते हुए, एक ऐसा लाभ प्राप्त करता है जो गिरवीदार के अधिकार का हनन होगा, उसे इस तरह के लाभ के लिए होना चाहिए

बंधक-तत्काल मामले में, एस के तहत निर्धारित शर्तें। 90 भारतीय न्यास अधिनियम से संतुष्ट थे-यह तथ्य कि पट्टेदार/मिराशी किरायेदार ने पुनः अनुदान का दावा नहीं किया था, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि मूल प्रतिवादी (बंधककर्ता) के पक्ष में पुनः अनुदान के आधार पर एक बंधककर्ता के मोचन का अधिकार समाप्त नहीं होता है क्योंकि पुनः अनुदान प्राप्त किया गया था और संपत्ति मूल प्रतिवादी द्वारा बंधककर्ताओं के लाभ के लिए रखी गई थी-इसलिए, अपीलकर्ताओं (बंधक के उत्तराधिकारियों) द्वारा पुनः अनुदान के माध्यम से प्राप्त लाभ को प्रत्यर्थियों (मिराशी किरायेदार-बंधककर्ता) के लाभ के लिए समर्पण किया जाना चाहिए, बशर्ते कि पुनः अनुदान प्राप्त करने में उनके द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान किया जाए-उच्च न्यायालय को उचित ठहराया गया था। 90 .

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. मान लीजिए कि पट्टा 25.01.1951, अर्थात जिस दिन उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ, उस दिन के रूप में अस्तित्व में था। उन्मूलन अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि उन्मूलन अधिनियम के तहत सरकार को वतन भूमि को फिर से शुरू करने से किसी विदेशी के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

वतन अधिनियम के तहत ऐसी भूमि का वतनदार या उसका प्रतिनिधि या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति का। इसके अलावा, वतन भूमि के संबंध में जिसे कानूनी रूप से पट्टे पर दिया गया है और जिसमें पट्टा उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के लिए निर्धारित दिन पर मौजूद है, उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 को ऐसी भूमि के धारक के अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करने में प्रधानता प्रदान करती है।

और उसके किरायेदार। तत्काल मामले में, एक वैध स्थायी मिराशी किरायेदार के अधिकार धारा 3 (3) के साथ-साथ उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान के आधार पर सरकार को मुकदमा भूमि को फिर से शुरू करने से बच जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिराशी किरायेदार के पक्ष में बनाई गई किरायेदारी उस दिन बनी रही जिस दिन उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बावजूद उसके किरायेदारी अधिकारों को बॉम्बे किरायेदारी अधिनियम द्वारा संरक्षित और शासित किया जाता रहा। यह अन्य विधानों पर किरायेदारी कानूनों को दी गई सामान्य प्रधानता के साथ अच्छी तरह से संरेखित है, जैसा कि है

उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 में परिलक्षित होता है।

इस प्रकार, शंकर सुखराम केन्जले (डी) टीएचआर के अधिकार। उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गेड

वतन की भूमि पर स्थायी किरायेदारों का उद्देश्य निर्वाह करना था।

उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के बाद भी। [पैरा 7 9] [230-डी; 232-बी-ई]

2. धारा 4 इंगित करती है कि उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के साथ, वतन को समाप्त कर दिया गया था और सभी वतन भूमि निहित कर दी गई थी

पूरी तरह से सरकार के साथ, धारा 4 के अधीन। के तहत धारा 4 (1), वतनों के 'धारकों' को आने की तारीख से पांच साल के भीतर एक निश्चित अधिभोग मूल्य का भुगतान करने की अनुमति थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने 3 मई, 1957 और 23 नवंबर, 1960 को उन व्यक्तियों के पक्ष में भूमि देने के लिए आदेश पारित किए जो वास्तविक कब्जे में थे। उक्त आदेशों के आधार पर, जहां भी धारक या वतनदार अधिभोग का भुगतान करने में विफल रहा था निर्धारित अवधि से पहले अधिनियम की धारा 4 (1) द्वारा आवश्यक मूल्य पर, विचाराधीन भूमि स्थायी मिराशी किरायेदारों के पक्ष में दी जानी चाहिए जो भूमि के वास्तविक कब्जे में थे। लेकिन इस मामले में मिराशी किरायेदार ने उक्त आदेशों के अनुसार पुनः अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया। दूसरी ओर, गिरवीदार ने पुनः अनुदान के लिए आवेदन किया, हालांकि वह स्थायी मिराशी किरायेदार नहीं था। गिरवीदार की ओर से अधिभोग मूल्य का भुगतान करने और पुनः अनुदान की मांग करने में विफलता मिराशी किरायेदार के रूप में उसके अधिकारों के लिए घातक नहीं है क्योंकि उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बावजूद उसके पक्ष में किरायेदारी बनी रही। नतीजतन, बंधक

उनके द्वारा निष्पादित भी उन्मूलन अधिनियम के तहत सूट भूमि की बहाली से बच गया। [पैरा 10,11 और 13] [233-जी-एच; 234-ए-डी, एच; 235-ए]

3. एक गिरवीदार जिसने गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उसे मोचन के लिए मुकदमा दायर करने पर इस तरह के कब्जे को छोड़ना होगा, जब तक कि वह यह स्थापित करने में सक्षम न हो कि कानून के अनुसार मोचन का अधिकार समाप्त हो गया है। यह सभी बंधकों पर लागू कानूनी सिद्धांत से निकलता है-"एक बार

बंधक, हमेशा एक बंधक "। तत्काल मामले में, उन शर्तों में से कोई भी नहीं है जिसमें मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है [2020] 4 एस. सी. आर.

लेन-देन। इसलिए, पुनः अनुदान के माध्यम से अपीलकर्ताओं (बंधककर्ता) द्वारा प्राप्त लाभ को प्रत्यर्थियों (मिराशी किरायेदार-बंधककर्ता) के लाभ के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। पुनः अनुदान प्राप्त करने में उनके द्वारा किए गए खर्चों का भुगतान करने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिराशी किरायेदार-बंधककर्ताओं के बंधक को भुनाने के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, लेकिन उन्मूलन अधिनियम के साथ-साथ बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948 के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया गया था; दूसरे शब्दों में, उनके पक्ष में किरायेदारी बनी रही। [पैरा 14 17] [235-सी-एफ; 236-बी-सी, एफ-जी]

जयसिंह ज्ञानू मोप्रेकर और एक अन्य बनाम। कृष्ण

बाबाजी पाटिल और एक अन्य (1985) 4 एस. सी. सी. 162: [1985] 2

पूरक। एस. सी. आर. 308-पर निर्भर।

दक्षिण सतारा के कलेक्टर और एक अन्य v. लक्ष्मण महादेव देशपांडे और अन्य (1964) 2 एस. सी. आर. 48; मलिकार्जुनप्पा बसावलिंगप्पा मामले देसाई बनाम।

सिद्दलिंगप्पा और अन्य (1973) 3 एससीसी 180

प्रतिष्ठित।

शंकर सेकरम केन्जले (डी) टीएचआर। उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गेड

नामदेव श्रीपति नाले बनाम। बापू गणपति जगतप और दूसरा (1997) 5 एस. सी. सी. 185 [1997] 2 एस. सी. आर. 980 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1985] 2 पूरक। एससीआर 308

उस पर भरोसा करें

पैरा 2.7

[1997] 2 एससीआर 980

पैरा 2.7

संदर्भित किया गया है

[1964] 2 एससीआर 48

पैरा 4

प्रतिष्ठित

(1973) 3 एससीसी 180

प्रतिष्ठित

पैरा 4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 4594

2010 से।

उच्च न्यायालय के 08.06.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1987 की दूसरी अपील सं. 439 में बॉम्बे में न्यायिक कार्य।

सागर एन. पाहुने पाटिल, रवींद्र केशवाव अदसुरे, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

आदित्य पी. खन्ना, निकोलस चौधरी, शिवाजी एम. जाधव, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे.

1. तत्काल अपील दिनांकित 08.06.2009 निर्णय से उत्पन्न होती है।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में पारित

1987 का सं. 439। विवादित फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया और निचली अदालत को बंधक के मोचन का प्रारंभिक आदेश जारी करने का निर्देश दिया

यहाँ उत्तरदाताओं के पक्ष में।

2. इस अपील की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः 2.1 विचाराधीन भूमि परगना वतन संपत्ति/इनाम भूमि थी।

(इसके बाद 'सूट लैंड')। ऐसी वतन संपत्तियाँ और वतन बॉम्बे वंशानुगत कार्यालय अधिनियम, 1874 (इसके बाद 'वतन अधिनियम') के प्रावधानों द्वारा शासित थे। श्रीमती. भवानी राजे घाडगे की पत्नी लक्ष्मीबाई सूट लैंड की वतनदार थीं। उन्होंने एक श्री रामचंद्र (उत्तरदाताओं के उत्तराधिकारी) को भूमि के स्थायी मिराशी किरायेदार के रूप में शामिल किया था। इस तरह की किरायेदारी वंशानुगत प्रकृति की थी।

खर्च। इस विलेख की शर्तों के अनुसार, बंधक राशि के पुनर्भुगतान के लिए दस साल की अवधि की परिकल्पना की गई थी और बंधककर्ता को सूट भूमि के कब्जे में रखा गया था। 2.3 इस बीच, बॉम्बे परगना और कुलकर्णी वतन (उन्मूलन) अधिनियम, 1950 (इसके बाद 'उन्मूलन अधिनियम') परगना और कुलकर्णी वतन को समाप्त करने और इनमें से कुछ कार्यालयों के कार्यों के निष्पादन के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से 25.01.1951 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत, परगना और कुलकर्णी वतन को समाप्त कर दिया गया और वतन की भूमि सरकार को फिर से दे दी गई, बशर्ते कि -

खंड 4. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि सूट भूमि, वतन की संपत्ति होने के कारण,

धारा 4 के अधीन सरकार को भी फिर से सौंपा गया, जो वतन के धारक को निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक अधिभोग मूल्य के भुगतान पर भूमि का पुनः अनुदान लेने का अधिकार देता है।

2.4 विशेष रूप से, मूल वतनदार ने सूट भूमि के पुनः अनुदान की मांग नहीं की थी। हालांकि, एक सरकारी संकल्प दिनांक 17.05.1956 पर भरोसा करते हुए

(अभिलेख पर नहीं रखा गया) वतन भूमि के वास्तविक कब्जे वाले व्यक्तियों को पुनः अनुदान लेने की अनुमति देते हुए, गिरवी (इसमें अपीलकर्ताओं के उत्तराधिकारी) ने अपेक्षित अधिभोग मूल्य का भुगतान किया और वर्ष 1960 में अपने पक्ष में वाद भूमि का पुनः अनुदान प्राप्त किया। 2.5 इसके बाद प्रत्यर्थियों (बंधककर्ता के उत्तराधिकारियों) ने शंकर सखाराम के खिलाफ बंधक के मोचन के लिए मुकदमा दायर किया।

1978 के नियमित सिविल सूट संख्या 190 में केंजल (बंधक)

सिविल जज, जूनियर डिवीजन, वाडुज। यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने बंधक राशि को स्वीकार करने और फिर से भुगतान करने का अनुरोध किया था भूमि, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा था। 09.12.1983 दिनांकित निर्णय के माध्यम से, इस मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। यह देखा गया कि 14.05.1947 दिनांकित विलेख सशर्त बिक्री द्वारा बंधक की प्रकृति का था न कि एकमुश्त बिक्री। इसके अलावा, यह पाया गया कि उन्मूलन अधिनियम के लागू होने और मूल वतनदार और मिराशी किरायेदार-गिरवीदार द्वारा सूट भूमि का पुनः अनुदान प्राप्त करने में विफलता के साथ, उक्त भूमि को फिर से बहाल कर दिया गया।

सरकार और पक्षकारों के बीच गिरवी रखने वाले-गिरवी रखने वाले का संबंध समाप्त हो गया। इसके आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि गिरवीदार का मोचन का अधिकार भी समाप्त हो गया था और उसके बाद गिरवीदार के पक्ष में पुनः अनुदान को उसकी ओर से एक के रूप में नहीं देखा जा सकता था।

बंधक ताकि उसे उसी के लाभ दिए जा सकें।

शंकर सेकरम केन्जले (डी) टीएचआर। उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गाडे [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

2.6 इसके बाद प्रत्यर्थियों ने 1984 की सिविल अपील संख्या 25 में जिला न्यायाधीश, सतारा के समक्ष अपील की। 24.03.1987 पर,

इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। जिला न्यायालय ने निचली अदालत के इस तर्क को दोहराया कि वतनदार और मिराशी किरायेदार-गिरवीदार द्वारा उनके पक्ष में वाद भूमि का पुनः अनुदान प्राप्त करने में विफलता के कारण, उक्त भूमि को उन्मूलन अधिनियम के तहत सरकार को फिर से दे दिया गया था, जिससे गिरवीदार-गिरवीदार संबंध समाप्त हो गया था।

दलों के बीच। इस प्रकार, गिरवीदार को बाद में दिए गए पुनः अनुदान के आलोक में, यह पाया गया कि मिराशी किरायेदार-गिरवीदार का भुनाने का अधिकार समाप्त हो गया है।

2.7 पीड़ित उत्तरदाताओं ने 1987 की दूसरी अपील संख्या 439 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की।

विवादित निर्णय के माध्यम से, विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया गया और मोचन के लिए वाद का आदेश दिया गया। यह इस आधार पर किया गया था कि लेकिन बंधक के लिए, बंधककर्ता सूट भूमि के कब्जे में नहीं होता और अपने पक्ष में पुनः अनुदान आदेश प्राप्त नहीं कर सकता था। यह देखते हुए कि इस तरह का पुनः अनुदान अंतर्निहित बंधक-बंधक संबंध पर आधारित था, यह माना गया था कि इस तरह के पुनः अनुदान के आधार पर बंधक द्वारा प्राप्त लाभ मिराशी किरायेदार-बंधक को प्राप्त होना चाहिए। इस संबंध में, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 के साथ-साथ जयसिंह ज्ञानू मोप्रेकर और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता रखी गई थी। कृष्ण बाबाजी पाटिल और एक अन्य, (1985) 4 एस. सी. सी. 162, और नामदेव श्रीपति नाले बनाम। बापू गणपति जगतप

और दूसरा, (1997) 5 एस. सी. सी. 185। यह इस फैसले के खिलाफ है कि अपीलार्थी इस अदालत के समक्ष अपील में आए हैं।

3. पक्षों के वकील को सुना।

4. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने दक्षिण सतारा के कलेक्टर और एक अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। लक्ष्मण महादेव देशपांडे और अन्य, (1964) 2 एस. सी. आर. 48, और मलिकार्जुनप्पा बसावलिंगप्पा मामले देसाई बनाम। सिद्दलिंगप्पा और अन्य, (1973) 3 एस. सी. सी. 180, यह तर्क देने के लिए कि एक बार उन्मूलन अधिनियम लागू होने के बाद, मुकदमा भूमि सरकार के पास निहित हो गई और इसके बाद

गिरवीदार को अनुदान देते हुए, वह भूमि का पूर्ण मालिक बन गया और मिराशी किरायेदार-गिरवीदार के सभी अधिकार, जिसमें मोचन का अधिकार भी शामिल था, समाप्त हो गए।

5. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 के साथ-साथ जयसिंह ज्ञानू मोप्रेकर (ऊपर) और नामदेव श्रीपति [2020] 4 एस. सी. आर. में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया।

नैले (ऊपर) का तर्क है कि पुनर्वित्त के आधार पर गिरवीदार द्वारा प्राप्त लाभ मिराशी किरायेदार-गिरवीदार को प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने उन्मूलन अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान के साथ-साथ वतन अधिनियम के कुछ प्रावधानों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि मिरशी किरायेदार के रूप में रामचंद्र के अधिकार उन्मूलन अधिनियम के तहत सरकार को भूमि की बहाली से बच गए, और इसलिए एक गिरवीदार के रूप में उनके अधिकार (मोचन के अधिकार सहित) भी बने रहे।

गिरवीदार के पक्ष में पुनः अनुदान के बावजूद।

6. अभिलेख को देखने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने पर, हम पाते हैं कि इस अपील में हमारे विचार के लिए उत्पन्न होने वाला केंद्रीय मुद्दा इस प्रकार हैः

क्या स्थायी मिराशी किरायेदार-गिरवीदार का

(उत्तरदाताओं) के आधार पर मोचन का अधिकार समाप्त हो गया

उन्मूलन अधिनियम के तहत वाद भूमि को फिर से शुरू करना और उसके बाद बंधक (अपीलकर्ता) के पक्ष में इसका पुनः अनुदान?

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह विवादित नहीं है कि रामचंद्र सूट भूमि के वतनदार के स्थायी मिराशी किरायेदार थे। मान लीजिए,

ऐसा पट्टा 25.01.1951 पर अस्तित्व में था, यानी जिस दिन उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था। 8. इस मोड़ पर, उन्मूलन अधिनियम के साथ-साथ वतन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक हो सकता हैः

" खंड 3. के साथ कुछ वतनों का उन्मूलन

नियत दिन, किसी भी कानून, उपयोग, निपटान, अनुदान, सनद या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद (1) सभी परगना और कुलकर्णी वतनों को ऐसा माना जाएगा

समाप्त कर दिया गया;
(2) पद धारण करने के सभी अधिकार और सेवा प्रदान करने के लिए कोई दायित्व

उक्त वतनों से संबंधित एतद्वारा बुझा दिए जाते हैं;

(3) धारा 4 के प्रावधानों के अधीन, सभी वतन भूमि को एतद्वारा फिर से शुरू किया जाता है और संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत भूमि राजस्व के भुगतान के अधीन माना जाएगा जैसे कि यह एक असंबद्ध भूमि थीः

बशर्ते कि इस तरह की बहाली अंकार सुखराम केंजल (डी) टी. एच. आर. के अनुसार की गई ऐसी वतन भूमि के किसी भी अलगाव की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।

उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गाडे [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

वतन अधिनियम की धारा 5 के प्रावधान या उसके किसी विदेशी या उसके तहत या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकार;

(4) उक्त वतनों से संबंधित सभी घटनाओं को समाप्त कर दिया जाता है।

(जोर दिया गया)

इसके अतिरिक्त, वतन अधिनियम की धारा 5 उल्लेखनीय हैः

" खंड 5. वतन और वतन के अलगाव का निषेध

अधिकार। — (1) [[राज्य] सरकार] की मंजूरी के बिना, [या आयुक्त के बंधक, शुल्क, अलगाव या तीस साल से अधिक के पट्टे के मामले में] यह नहीं होगा सक्षम

(क) किसी वतनदार को उसके प्राकृतिक जीवन की अवधि से परे की अवधि के लिए किसी वतन या किसी हिस्से को गिरवी रखने, शुल्क लेने, अलग करने या पट्टे पर देने के लिए।

उसका, या उसमें कोई हित, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके लाभ के लिए जो उसी वतन का वतनदार नहीं है;

(ख) एक प्रतिनिधि वतनदार को किसी भी अधिकार को गिरवी रखने, शुल्क लेने, पट्टे पर देने या अलग करने के लिए, जिसके साथ वह इस के तहत निवेश किया जाता है।

एक्ट करें।

(2) किसी ऐसे वतन के मामले में, जिसके संबंध में धारा 15 के तहत या उस धारा के लागू होने से पहले सेवा पारगमन समझौता किया गया है, इस धारा का खंड (ए) ऐसे वतन पर तब तक लागू होगा, जब तक कि [[राज्य] सरकार] की मंजूरी के बिना वतन को अलग करने का अधिकार वतनदारों को ऐसे समझौते की शर्तों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है या उक्त शर्तों के तहत उनके द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाता है।

उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 पर ध्यान देना भी प्रासंगिक हैः " धारा 8. बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948 का अनुप्रयोग। —

यदि कोई वतन भूमि कानूनी रूप से पट्टे पर दी गई है और ऐसा पट्टा नियत दिन पर मौजूद है, तो बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948 के प्रावधान उक्त पट्टे पर लागू होंगे और ऐसी भूमि के धारक के अधिकार और देनदारियां और उसका किरायेदार या किरायेदार, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'भूमि' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है।

बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948।

उन्मूलन अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधान को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि सरकार को वतन भूमि की बहाली उन्मूलन अधिनियम वतन अधिनियम के तहत वतनदार के किसी विदेशी या ऐसी भूमि के उसके प्रतिनिधि या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा, वतन भूमि के संबंध में जो कानूनी रूप से पट्टे पर दी गई है और जिस दिन पट्टा मौजूद है

उन्मूलन अधिनियम। यह अन्य विधानों पर किरायेदारी कानूनों को दी गई सामान्य प्रधानता के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जैसा कि उन्मूलन अधिनियम की धारा 8 में भी परिलक्षित होता है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि स्थायी अधिकार वतन भूमि पर किरायेदारों का उद्देश्य उन्मूलन अधिनियम के लागू होने के बाद भी जीवित रहना था।

10. इस मोड़ पर, उन्मूलन अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है, जो इस प्रकार हैं:

" खंड 4. वतन भूमि का धारक अधिभोगकर्ता होगा। — (1) ए.

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिर से शुरू की गई वतन भूमि, धारा 4-ए के प्रावधानों के अधीन, उस वतन के धारक को, जिसके लिए वह संबंधित है, पूर्ण मूल्यांकन की राशि के बारह गुना के बराबर अधिभोग मूल्य के भुगतान पर वापस दी जाएगी। इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पांच साल के भीतर ऐसी भूमि और धारक को इसके अंतर्गत एक अधिभोगकर्ता माना जाएगा।

ऐसी भूमि के संबंध में संहिता का अर्थ और मुख्य रूप से

राज्य सरकार को भूमि राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

संहिता के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार; संहिता के सभी प्रावधानों और अंकार सहकारम केंजल (डी) टीएचआर से संबंधित नियमों के अनुसार।

उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गाडे [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

असंबद्ध भूमि, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, लागू होगी।

उक्त भूमि के लिएः बशर्ते कि वतन भूमि के संबंध में जो अधिकारी के परिलब्धियों के लिए आवंटित नहीं की गई है, अधिभोग

ऐसी भूमि के पूर्ण मूल्यांकन की राशि के छह गुना के बराबर मूल्य का भुगतान भूमि के धारक द्वारा उसके प्रत्यर्पण के लिए किया जाएगाः

बशर्ते कि यदि धारक अधिभोग का भुगतान करने में विफल रहता है

इस धारा में दिए गए पांच वर्षों की अवधि के भीतर, उसे अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने वाला माना जाएगा और के अनुसार संक्षेप में बाहर निकाले जाने के लिए उत्तरदायी होना

संहिता के प्रावधान।

आदेश निर्धारित करें। (3) उप-धारा (1) और (2) में कुछ भी किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगा।

(क) वह परिवर्त्तन समझौता जिसके संबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि वतन से संबंधित भूमि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना हस्तांतरणीय होगी; या

(ख) जिसे मंजूरी के साथ वैध रूप से अलग कर दिया गया है

वतन अधिनियम की धारा 5 के तहत राज्य सरकार।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति

' धारक में शामिल होंगे

((i) वे सभी व्यक्ति जो नियत दिन पर राज्य के संरक्षक होते हैं।

वही वतन जिसमें भूमि निहित थी, और

((ii) किसी वतन के मामले में वह परिवर्त्तन समझौता जिसके संबंध में उससे संबंधित भूमि के हस्तांतरण की अनुमति है, एक व्यक्ति जिसमें कुछ समय के लिए ऐसी भूमि का स्वामित्व है।

जैकेट "।

उपरोक्त प्रावधान इंगित करते हैं कि, के लागू होने के साथ

बोली अधिनियम, वतन को समाप्त कर दिया गया और सभी वतन भूमि निहित कर दी गई

धारा 4 के अधीन रहते हुए, सरकार के साथ। खंड के तहत

' वतन के धारकों को एक निश्चित अधिभोग का भुगतान करने की अनुमति थी

अधिनियम के लागू होने की तारीख से पाँच साल के भीतर और भूमि का पुनः अनुदान। हालाँकि, दूसरे परंतुक [2020] 4 एस. सी. आर. के अनुसार।

उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार, यदि धारक पांच साल की अवधि के भीतर इस तरह के अधिभोग मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे माना जाएगा -

भूमि के अनधिकृत कब्जे में है और बॉम्बे भूमि राजस्व संहिता, 1879 के अनुसार संक्षिप्त रूप से निष्कासित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. विशेष रूप से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तत्काल मामले में वतनदार ने उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत भूमि के पुनः अनुदान की मांग करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने आदेश पारित किए हैं।

G.R.R.D. नहीं। पी. के. ए.-1056-4-एल दिनांक 3 मई, 1957 और G.R.R.D. संख्या 2760-3-48820-एल दिनांक 23 नवंबर, 1960 उन व्यक्तियों के पक्ष में भूमि प्रदान करने के लिए जो वास्तविक कब्जे में थे। उपरोक्त के आधार पर आदेशों के अनुसार, जहां कहीं भी धारक या वतनदार निर्धारित अवधि से पहले अधिनियम की धारा 4 (1) द्वारा आवश्यक अधिभोग मूल्य का भुगतान करने में विफल रहा था, वहां विचाराधीन भूमि स्थायी मिराशी किरायेदारों के पक्ष में दी जाएगी जो भूमि के वास्तविक कब्जे में थे। लेकिन इस मामले में मिराशी किरायेदार, अर्थात् रामचंद्र ने पुनः अनुदान के लिए आवेदन नहीं किया।

आदेश दिया। दूसरी ओर, गिरवीदार ने पुनः अनुदान के लिए आवेदन किया, हालांकि

वह एक स्थायी मिराशी किरायेदार नहीं था।

12. 23.11.1960 दिनांकित आदेश द्वारा, बंधककर्ता (द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया)

इसमें अपीलकर्ताओं ने) अपेक्षित अधिभोग मूल्य का भुगतान करने पर वाद भूमि का पुनः अनुदान प्राप्त किया। यह दावा किया जाता है कि यह सरकारी प्रस्ताव दिनांक 17.05.1956 के आधार पर किया गया था जिसमें व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी

पुनर्वित्त की मांग करने के लिए वतन भूमि के वास्तविक कब्जे में। विशेष रूप से, यह सरकारी प्रस्ताव दिनांकित 17.05.1956 रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है और न ही इसे तीनों न्यायालयों द्वारा विचार किया गया है। हम जल्दबाजी में ध्यान देते हैं कि सरकारी आदेशों का प्रभाव दिनांक 03.05.1957 और

इस न्यायालय द्वारा दिनांकित सरकारी प्रस्ताव 17.05.1956 पर पहले विचार नहीं किया गया है। जो भी हो, यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती के पक्ष में पुनः अनुदान आदेश दिया गया था और नहीं किया गया है बाद में पूछताछ की। इस प्रकार, इस आधार पर आगे बढ़ना कि सरकारी संकल्प दिनांक 17.05.1956 मौजूद था और पुनः अनुदान था

गिरवीदार के पक्ष में किए जाने पर, हम पाते हैं कि यहाँ जिस केंद्रीय प्रश्न पर विचार किया जाना है, वह है मिराशी किरायेदार-गिरवीदार के अधिकारों पर इस तरह के पुनः अनुदान का प्रभाव।

13. हमारी सुविचारित राय में, बंधककर्ता की ओर से अधिभोग मूल्य का भुगतान करने और पुनः अनुदान की मांग करने में विफलता घातक नहीं है

एक मिराशी किरायेदार के रूप में उसके पक्ष में किरायेदारी के रूप में उसके अधिकार उन्मूलन अधिनियम की शुरुआत के बावजूद बने रहे, जैसा कि हमारे शंकर सुखराम केन्जले (डी) टीएचआर में विस्तृत है।

उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गाडे [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

ऊपर की चर्चा। नतीजतन, उनके द्वारा निष्पादित बंधक भी उन्मूलन अधिनियम के तहत मुकदमा भूमि को फिर से शुरू करने से बच गया, और यह नहीं कहा जा सकता है कि बंधक-बंधक का संबंध दोनों के बीच है।

ऐसे अधिनियम के कारण दलों का अस्तित्व समाप्त हो गया।

14. यह अच्छी तरह से तय है कि एक बंधक विलेख के तहत मोचन का अधिकार समाप्त हो सकता है या केवल एक ज्ञात प्रक्रिया द्वारा समाप्त किया जा सकता है

कानून, यानी, या तो इस तरह के प्रभाव के लिए पक्षों के बीच एक अनुबंध के माध्यम से, एक विलय द्वारा, या एक वैधानिक प्रावधान द्वारा जो गिरवी रखने वाले को रोकता है बंधक को छुड़ाएँ। दूसरे शब्दों में, एक गिरवीदार जिसने गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उसे मोचन के लिए मुकदमा दायर करने पर इस तरह का कब्जा छोड़ना होगा, जब तक कि वह यह स्थापित करने में सक्षम न हो कि कानून के अनुसार मोचन का अधिकार समाप्त हो गया है। यह सभी बंधक पर लागू कानूनी सिद्धांत से निकलता है-"एक बार बंधक, हमेशा एक बंधक"।

15. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त शर्तों में से कोई भी नहीं है जिसमें मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है

दिनांकित बंधक विलेख 14.05.1947 के संबंध में। जहां तक मोचन के ऐसे अधिकार पर पुनर्वित्त के प्रभाव का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिरवीदार के पक्ष में ऐसा पुनर्वित्त इस तथ्य के लिए नहीं किया जा सकता था कि वह स्वामित्व वाले गिरवीदार के रूप में अपनी स्थिति के आधार पर संपत्ति के वास्तविक कब्जे में था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि मिराशी किरायेदार-गिरवी ने पुनः अनुदान के लिए आवेदन किया होता, तो सूट भूमि के पास होता।

पक्षों के बीच संबंध। इसलिए, गिरवी रखने वाले को होने वाला कोई भी लाभ अनिवार्य रूप से मिराशी किरायेदार-गिरवी रखने वाले को मिलना चाहिए। 16. इस संबंध में, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 पर ध्यान देना उचित है, जो निम्नानुसार है:

" धारा 90। योग्य मालिक द्वारा प्राप्त लाभ। — जहां जीवन भर के लिए कोई किरायेदार, सह-मालिक, बंधक या किसी संपत्ति का अन्य योग्य मालिक, अपने पद का लाभ उठाकर, संपत्ति में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करने में लाभ प्राप्त करता है, या जहां ऐसा कोई मालिक, जो ऐसी संपत्ति में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे इस तरह के सभी व्यक्तियों के लाभ के लिए लाभ रखना चाहिए।

प्राप्त किया, लेकिन ऐसे व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से किए गए खर्चों के अपने देय हिस्से के पुनर्भुगतान के अधीन, और प्राप्त करने में ठीक से अनुबंधित देनदारियों के खिलाफ उन्हीं व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति के अधीन

ऐसा लाभ "।

इस प्रावधान को नंगे पढ़ने से संकेत मिलता है कि यदि कोई गिरवीदार, गिरवीदार के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर, ऐसा लाभ प्राप्त करता है जो गिरवीदार के अधिकार का हनन होगा, तो उसे गिरवीदार के लाभ के लिए ऐसा लाभ उठाना चाहिए।

17. तत्काल मामले में, हम पाते हैं कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 के तहत निर्धारित शर्तें संतुष्ट हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया है। ऊपर, बंधककर्ता केवल अपने पक्ष में पुनः अनुदान प्राप्त कर सकता था

गिरवीदार के रूप में अपने पद का लाभ उठाना, इस तरह के पुनर्वित्त का पता बंधक विलेख के आधार पर उसे दी गई भूमि के कब्जे से लगाया जा सकता है। इसके अलावा, उक्त पुनः अनुदान निश्चित रूप से बंधककर्ता के अधिकारों का अपमान था जो स्थायी मिराशी किरायेदार था और इस तरह वर्तमान किरायेदारी के आधार पर संरक्षित था। यह तथ्य कि पट्टेदार/मिराशी किरायेदार रामचंद्र ने पुनः अनुदान का दावा नहीं किया था, प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एक गिरवीदार के मोचन का अधिकार मूल प्रतिवादी के पक्ष में पुनः अनुदान के आधार पर समाप्त नहीं होता है क्योंकि पुनः अनुदान प्राप्त किया गया था और संपत्ति मूल प्रतिवादी द्वारा गिरवीदारों के लाभ के लिए रखी गई थी। मूल प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया पुनः अनुदान, बंधक के तहत उसके द्वारा प्राप्त वाद संपत्ति के कब्जे के लिए एक लाभ है और उक्त पुनः अनुदान निश्चित रूप से गिरवी रखने वाले के अधिकार को कम करता है जो वाद संपत्ति के संबंध में एक मिराशी किरायेदार था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 गिरवी रखने वाले पर एक स्पष्ट दायित्व डालती है कि वह गिरवी रखी गई संपत्ति में उसके द्वारा अर्जित किसी भी अधिकार को अपने पास रखे।

बंधक, के रूप में वह इस तरह के लेनदेन के संबंध में एक प्रत्ययी क्षमता में कार्य करने के लिए देखा जाता है। इसलिए, पुनः अनुदान के माध्यम से अपीलकर्ताओं (बंधककर्ता) द्वारा प्राप्त लाभ को प्रत्यर्थियों (मिराशी किरायेदार-बंधककर्ता) के लाभ के लिए समर्पित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि पुनः अनुदान प्राप्त करने में उनके द्वारा किए गए खर्च का भुगतान किया जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिराशी किरायेदार-बंधककर्ताओं के बंधक को भुनाने के अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि उन्मूलन अधिनियम के साथ-साथ इसके आधार पर संरक्षित किया गया था।

बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि के प्रावधानों के तहत अधिनियम, 1948; दूसरे शब्दों में, उनके पक्ष में किरायेदारी बनी रही।

18. इसका समर्थन जयसिंह ज्ञानू मोप्रेकर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले से भी किया जाता है, जहां इसी तरह के तथ्यात्मक परिदृश्य में

गिरवी रखने वाले मिराशी किरायेदार के अधिकार का अपमान करते हुए पुनः अनुदान प्राप्त करने वाले गिरवीदार को इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

अंकार सेकरम केन्जले (डी) टीएचआर। उनके एल. आर. वी. नारायण कृष्ण गाडे [मोहन एम. शांतनागौदर, जे.]

" 9. ..... यह देखा गया है कि बंधककर्ताओं ने सरकार को गलत अभ्यावेदन देकर अपने पक्ष में अनुदान प्राप्त किया कि वे स्थायी मिराशी किरायेदार थे, हालांकि वे केवल बंधक थे। भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 स्पष्ट रूप से एक गिरवीदार पर ऐसी परिस्थितियों में गिरवीदार के लाभ के लिए गिरवी संपत्ति में उसके द्वारा अर्जित अधिकारों को रखने का दायित्व डालती है क्योंकि गिरवीदार वस्तुतः इस प्रकार अर्जित अधिकारों के संबंध में एक प्रत्ययी स्थिति में है और उसे लेन-देन से लाभ कमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, प्रतिवादी वादियों के पक्ष में अनुदान के तहत प्राप्त लाभ को आत्मसमर्पण करने के लिए उत्तरदायी हैं, भले ही -

राजस्व प्राधिकरणों के समक्ष अनुदान अंतिम हो गया है, निश्चित रूप से, उनके द्वारा किए गए खर्चों के भुगतान के अधीन

अनुदान प्राप्त करना। प्रथम अपीलीय न्यायालय का आदेश

तदनुसार निर्देश दिया गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादियों को बंधक राशि के साथ रुपये 182.41 का भुगतान किया जाना चाहिए।

19. नामदेव श्रीपति नाले (ऊपर) में, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 90 की व्यवहार्यता पर विचार करते हुए, यह न्यायालय

वेद इस प्रकार हैः

" 6. ..... पहला प्रत्यर्थी-बंधक उपरोक्त वैधानिक दायित्व का पालन करने में विफल रहा। उसने कोई गलत काम किया या डिफ़ॉल्ट। चाहे गलती/गलती की गई हो, उसके आधार के रूप में एक संविदात्मक दायित्व या एक वैधानिक दायित्व है,

अंतर। उन्हें अधिकारियों द्वारा एक किरायेदार के रूप में लिया गया था, जिसने उन्हें अपने पक्ष में प्रत्यर्पण प्राप्त करने में सक्षम बनाया। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि पहला प्रत्यर्थी, एक स्वामित्व वाले बंधक के रूप में, संपत्ति के कब्जे में था। उन्होंने एक स्वामित्व बंधक के रूप में अपनी स्थिति का लाभ उठाया। ऐसा करते हुए उन्होंने गलती की। अतः, तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि पहले प्रत्यर्थी ने अपने पक्ष में प्रतिगामी प्राप्त किया या एक

अपने पक्ष में लाभ, एक के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर

बंधक। कानून में, प्रथम प्रत्यर्थी, योग्य मालिक द्वारा प्राप्त लाभ, इच्छुक व्यक्तियों-गिरवीदार-अपीलार्थी के लाभ के लिए माना जाना चाहिए। हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में, भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 90 के प्रावधान आकर्षित होते हैं। प्रथम प्रत्यर्थी गिरवीदार ने स्वामित्व वाले गिरवीदार के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर लाभ प्राप्त किया और प्रत्यर्पण प्राप्त किया। ऐसा उसने गलती करके किया। उन्होंने [2020] 4 एस. सी. आर. के लिए और उसकी ओर से कानून द्वारा सीमित समय के भीतर अधिभोग मूल्य का भुगतान नहीं करने में चूक की।

मुर्दाघर का। प्रतिकारक उसके नाम पर पोज देकर प्राप्त किया गया था स्वयं एक किरायेदार के रूप में, जो केवल इसलिए संभव था क्योंकि वह उसमें था

भूमि का कब्जा (एक स्वामित्व बंधक के रूप में)। इसका फायदा

बंधक, एक वैधानिक दायित्व के प्रदर्शन में या एक संविदात्मक दायित्व, जिसमें अधिकार की बिक्री या ज़ब्त करना शामिल है

गिरवी रखने वाले की संपत्ति, धारा के प्रावधानों को आकर्षित करेगी

90 भारतीय न्यास अधिनियम। ऐसे मामलों में प्राप्त कोई भी लाभ

योग्य स्वामी, बंधककर्ता, लाभ के लिए या उसके लिए आश्वासन देगा।

मुर्दाघर का। भुनाने का अधिकार इसके बावजूद बना रहेगा

गिरवी रखने वाले के अधिकार की कोई बिक्री या ज़ब्त। हम उनमें से हैं

विचार है कि इस मुद्दे पर कानून सराहनीय रूप से निर्धारित किया गया है मृत्युंजय पानी बनाम में इस न्यायालय द्वारा स्पष्टता। नर्मदा बाला

ससमल [(1962) 1 एससीआर 290 एआईआर 1961 एससी 1353] और के. के. मैथ्यू, जे. (जैसा कि उनका लॉर्डशिप तब था) नबिया यातू में

उम्मल वी। मोहम्मद. माइथिन [1963 के. एल. जे. 1177: ए. आई. आर. 1964 केर 225]

उक्त निर्णयों में हमारी सम्मानजनक सहमति है।

(जोर दिया गया)

20. दक्षिण सतारा के कलेक्टर के मामले में तथ्य (ऊपर)

अलग बिंदु। इन मामलों में मुकदमा वातंदर के तहत एक स्थायी किरायेदार के अधिकारों से संबंधित नहीं था। इसी प्रकार, उसमें शामिल मुद्दा बंधककर्ता के पक्ष में किए गए पुनः अनुदान के आदेश के प्रभाव से संबंधित नहीं था। इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित उक्ति इन पर लागू नहीं होती है - हाथ में मामले के तथ्य।

21. दूसरी ओर, हमारी सुविचारित राय में, प्रश्न शामिल है

वर्तमान मुकदमे में जयसिंह ज्ञानू मोप्रेकर और नामदेव श्रीपति नाले (उपरोक्त) के निर्णयों को पूरी तरह से शामिल किया गया है।

22. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय था

इसमें प्रत्यर्थियों द्वारा दायर वाद का आदेश देने और विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार करने में न्यायसंगत ठहराया गया। हम विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

तदनुसार, तत्काल अपील खारिज कर दी जाती है। देविका गुजराल

या

चिका खारिज कर दी गई।